संख्या– 664 / III–2/05–17(प्र0आ0)/05

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,दे.दून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून,दिनांक 1 सितम्बर 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 में जनपद नैनीताल में भीमताल बाईपास का निर्माण कार्य(विकास भवन से मत्स्य केन्द्र तक) की प्रशासकीय एवं वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 551/24(22)यात–उत्तरांचल/05 दिनांक 29.03.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद नैनीताल में भीमताल बाईपास का निर्माण कार्य (विकास भवन से मत्स्य केन्द्र तक) के आगणन रू0 206.85 लाख पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई रू0 198.60 लाख (रू0 एक करोड़ अठ्ठानबे लाख साठ हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 में रूपये 1.00 लाख (रू0 एक लाख मात्र) की धनराशि व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है,अथवा बाजार भाव से ली गई हो,की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरियता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

5. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ली। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन मे जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

32/contd

NIC
694

10. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

11. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक- 31.03.2006 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय।

12. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2006 तक प्रस्तुत कर दिया जाय।

13. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

14. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्ययक मे लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़के आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य रोवटर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

15. यह आदेश वित्त अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.1376/XXVII (3)/2005 दिनांक 25 अगस्त, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।

संख्या- 644 (1)/III-2/05, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम ) उत्तराचल, इलाहाबाद/ देहरादून।
2. आयुक्त कुमायूं मंडल, नैनीताल।
3- जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, नैनीताल।
4- मुख्य अभियन्ता ,कुमायूं क्षेत्र, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
7- अधीक्षण अभियन्ता, 22 वां वृत्त लो0नि0वि0, नैनीताल।
8- वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।

NIC
694

10. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

11. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक- 31.03.2006 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय।

12. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2006 तक प्रस्तुत कर दिया जाय।

13. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

14. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्ययक मे लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़के आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

15. यह आदेश वित्त अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.1376/XXVII (3)/2005 दिनांक 25 अगस्त, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।

संख्या- 644 (1)/III-2/05, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम ) उत्तराचल, इलाहाबाद/ देहरादून।
2. आयुक्त कुमायूं मंडल, नैनीताल।
3- जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, नैनीताल।
4- मुख्य अभियन्ता ,कुमायूं क्षेत्र, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
7- अधीक्षण अभियन्ता, 22 वां वृत्त लो0नि0वि0, नैनीताल।
8- वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।